संख्या 50 /VI-I /2008–5(11) 2005

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभागः

देहरादून दिनांक 04 मार्च फरवरी 2008

विषयः जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पाबों में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु अवशेष धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1028/सात –योजना/ 2007–2008,दिनांक 27 दिसम्बर 2007 तथा शासनादेश संख्या 17/VI-I/2006–5(11)दिनांक 24 जनवरी 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पाबों में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0 20.70 लाख(रू0 बीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरो को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणंन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ताओं से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय। निर्माण कार्य के न्यूनतम तीन चरणों के छायाचित्र निर्माण इकाई द्वारा वित्तीय /भौतिक प्रगति के साथ उपलब्ध कराये जायेगें, यथा निर्माण कार्य के पूर्व का रिक्त भूमि का चित्र,निर्माण के मध्य का चित्र व पूर्ण निर्मित योजना का चित्र।

8. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई हैं, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9. जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगंणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10. मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश सं0 2047 XII–219/(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगंणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11. उपरोक्त अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2204– खेलकूद तथा युवा सेवायें –00–001 निदेशन तथा प्रशासन –07– ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–00––24–बृहद निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

12. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या –1022(P) /वित्त XXXVII–(I)/2008 दिनांक फरवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्याः–50/VI-I/2008–5(11)2005 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी पौड़ी।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव